

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-08/अ0प्र0-02-17/2025

502

/पटना दिनांक- 4.9.25

श्रीमती अलीशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ (गृह जिला-पूर्णियाँ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर में पदस्थापित किया जाता है।

2. इस आदेश के निर्गत होने के साथ ही संबंधित कर्मों का स्थानांतरण/पदस्थापन से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश/प्रतिनियुक्ति आदेश स्वतः विलोपित समझे जायेंगे।

3. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि उनके अधीनस्थ पदस्थापित किये गये कर्मियों का अद्यतन सेवापुस्त को पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त कर लें।

4. इनका स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः उन्हें स्थानांतरण भत्ता देय नहीं होगा।

5. यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।

6. इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(कुमार अजित सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक- 4.9.25

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-17/2025

9643

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-04, पूर्णियाँ, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-05, मुजफ्फरपुर, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ/वीरपुर/श्रीमती अलीशा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ को निदेश दिया जाता है कि इनका विरमन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक- 4.9.25

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-17/2025

9643

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना दिनांक- 4.9.25

ज्ञापांक:-08/अ0प्र0-02-17/2025

9643

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव